रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72

REGISTERED No. D.(D.)-72

CENTRAL SECRETARIAT 21 DEC 1978

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 219] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 17, 1978/कार्तिक 26, 1900

No. 219] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 17, 1978/KARTIKA 26, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आयात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं० 86-आई टी सी(पी एन)/78

नई दिल्ली, 17 नवम्बर, 1978

विषय :—1978-79 की आयात नीति—बिना गढ़े हुए तांबे का आयात

फा. सं. आई पी सी/43/4/78 .—वास्तविक उपयोक्ताओं को, जुलाई-सितम्बर, 1978 की तिमाही के लिए अपनी अपूर्व आवश्यकताओं के संबंध में आबंटित तांबे से सम्बद्ध वाणिज्य विभाग की सार्व. सू. सं. 69-आई.टी.सी. (पी. एन.)/78 दिनांक 28 सितम्बर, 1978 के उपपैरा 2(6) की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2. स्थिति की पुनरीक्षा करने पर यह निश्चय किया गया है कि वास्तविक उपयोक्ता अपनी अपूर्व आवश्यकताओं को जुलाई-सितम्बर की अवधि की (जैसा नीचे परिभाषित है) 28 नवम्बर, 1978 तक भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम के पास पंजीकृत करवा सकते हैं। ऐसी "अपूर्ण" आवश्यकताएं बिना गढ़े हुए तांबे की मात्रा को प्रदर्शित करेंगी, जिसका परिकलन दिसम्बर, 1977 से जून, 1978 तक औसत मासिक कुल खरीद में से जुलाई—सितम्बर, 1978 के दौरान सरणीबद्ध अभिकरणों/एच. सी. एल. द्वारा पहले से प्राप्त मात्रा को घटा कर किया जाएगा। जुलाई-सितम्बर, 1978 के लिए इस प्रकार परिकलित अपूर्ण आवश्यकताओं का केवल दो-तिहाई भाग, जो भारतीय खनिज एवं धातु व्यापार निगम द्वारा संविक्षा करने पर ठीक पाया जाय का संभरण दो बराबर किस्तों में अक्तूबर, 1978 और नवम्बर, 1978 के मास में सरणीबद्ध अभिकरण के पास समबद्ध वास्तविक उपभोक्ता के पंजीकरण के मद्दे किए जाने वाले आबंटन के साथ किया जाएगा। लेकिन ऐसे वास्तविक उपयोक्ता जिन्होंने अक्तूबर, 1978 के लिए अपनी मूल मासिक आवश्यकताओं को खनिज तथा धातु व्यापार निगम के पास पंजीकृत नहीं करवाया है, वे उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार अक्तूबर, 1978 में देय जुलाई-सितम्बर, 1978 की अपनी अपूर्व आवश्यकताओं को प्राप्त करने के हकदार नहीं होंगे।

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES & CO-OPERATION

(Department of Commerce)

Import Trade Control

PUBLIC NOTICE NO. 86-ITC(PN)/78

New Delhi, the 17th November, 1978

Subject : Import Policy, 1978-79—Import of Copper unwrought.

F. No. IPC/43/4/78.—Attention is invited to sub-para 2(vi) of the Department of Commerce Public Notice No. 69-ITC (PN)/78 dated the 28th September, 1978 pertaining to allotment of copper to Actual Users in respect of their unserviced requirements for July—September, 1978 quarter.

2. On a review of the position, it has been decided that eligible Actual Users may register their unserviced requirements of July—September period (as defined hereunder) with the Minerals & Metals Trading Corporation not later than the 28th November, 1978. Such "unserviced" requirements will represent the quantity of copper unwrought as worked out on the basis of the average monthly off-take during December 1977 to June 1978 minus the quantity already

drawn from the canalising agency/HCL for the period July—September, 1978. Only two-thirds of the unserviced requirements for July—September 1978 period so worked out, as may be found to be in order on scrutiny by the MMTC, will be supplied in two equal instalments, each along with the allocation to be made to the Actual User concerned against his registration with the canalising agency for the months of October, 1978 and November 1978. Actual Users who did not register with the MMTC for their basic monthly requirement for October, 1978 would, however, not be entitled to receive their unserviced requirement of July—September 1978 due in October 1978 as per the above provision.

सार्वजनिक सूचना सं. 85-आइ. टी. सी. (पी. एन.)/78

नई दिल्ली 17 नवम्बर, 1978

विषय : आयात नीति, 1978-79

नि. सं. आई. पी. सी/3/15/78.—वाणिज्य विभाग की सार्वजनिक सू. सं. 70-आई.टी.सी. (पी. एन)/78 दिनांक 28 सितम्बर, 1978 द्वारा यथा संशोधित वाणिज्य विभाग की सार्वजनिक सूचना सं. 67-आइ.टी.सी.(पी.एन)/78 दिनांक 14 सितम्बर, 1978 के अंतर्गत आयात-निर्यात नीति, 1978-79 के अध्याय 6 में जोड़े गए पैरा 40-क की ओर ध्यान दिलाया जाता है।

2. उक्त पैरा 40-क की प्रथम पंक्ति को निम्न प्रकार से पढ़ा जाने के लिए संशोधित किया गया समझा जाए :—

"वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक) जो उपर्युक्त सुविधा के लिए पात्र हैं, उन्हें परिशिष्ट 8 में सूचीबद्ध ऐसी सरणीबद्ध मदों को सीधे आयात करने की भी अनुमति दी जा सकती है जो निर्यात उत्पाद(दों) में प्रयुक्त होती हैं—लेकिन उन "विनिर्दिष्ट" सरणीबद्ध मदों को छोड़कर जिनके आयात एवं वितरण के लिए आयात-निर्यात क्रिया विधि हैंण्ड बुक 1978-79 में अलग से व्यवस्था की गई है"।

का.वें शेषाद्रि, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

PUBLIC NOTICE NO: 85-ITC(PN)/78

New Delhi the 17th November, 1978

Subject : Import Policy, 1978-79

F. No. IPC/3/15/78.—Attention is invited to para 40-A in Chapter 6 of the Import Policy, 1978-79 inserted under the Department of Commerce Public Notice No. 67-ITC(PN)/78, dated the 14th September, 1978, as amended by the Department of Commerce Public Notice No. 70-ITC(PN)/78, dated the 28th September, 1978.

2. The first sentence of the said para 40-A shall be deemed to have been amended to read as under :—

"Actual Users (Industrial) who are eligible to the above facility may also be allowed to import directly such canalised items listed in Appendix 8, as are used in the export product(s)—excluding, however, those 'specified' canalised items for the import and distribution of which there is separate provision made in the Hand Book of Import-Export Procedures, 1978-79."

K. V. SESHADRI, Chief Controller of Imports & Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978